FORM - F (Hindi)

"बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ"

Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur

रविवार/अवकाश दिवस पर विश्वविद्यालय परिसर से बाहर जाने के लिए सुविधा

छात्रावास में रह रही छात्राओं को अपनी व्यक्तिगत खरीददारी या किसी अन्य कार्य हेतु जयपुर बाजार तक आने-जाने के लिए अनुमति एवं सुविधा प्रदान की जाती है। इसके लिए अभिभावक को नीचे दिये गये विकल्पों में से यह फॉर्म भर कर अपनी चयनित इच्छा या विकल्प लिख कर देनी होगी।

विकल्प :

(अ) विश्वविद्यालय वाहन सुविधा द्वारा

(ब) स्वयं की वाहन व्यवस्था द्वारा

(स) विश्वविद्यालय वाहन सुविधा और स्वयं की वाहन व्यवस्था द्वारा (छात्रानुसार)

(द) बाहर जाने की अनुमति नहीं

विश्वविद्यालय वाहन सुविधा द्वारा - इस विकल्प को चुनने पर छात्रा को जयपुर बाजार आने-जाने के लिए विश्वविद्यालय की वाहन सुविधा देय शुल्क पर उपलब्ध कराई जायेगी। यह सुविधा अवकाश दिवस एवं रविवार के लिए ही होगी। यह विकल्प चुनने के बाद छात्रा स्वयं ही अपना नाम लिखा कर महिने में एक बार बाहर जा सकती है, जिसके लिए आपसे दुबारा किसी तरह का सम्पर्क नहीं किया जायेगा।

प्रक्रिया : जिन छात्राओं ने 2017-18 में एडमिशन लिया है वे सभी छात्रायें अपने नाम कम्युनिकेशन सेन्टर (सी.सी.) पर जाकर लिखाये। प्रत्येक बुधवार को 4.00 बजे से 5.00 बजे तक नाम लिखाये जा सकते है।

नियमावली :

1. विश्वविद्यालय वाहन सुविधा द्वारा प्रत्येक छात्रा को महीने में केवल एक ही बार आउटिंग दी जायेगी। जिसका शुल्क कम्युनिकेशन सेन्टर (सी.सी.) पर नाम लिखाते समय देना होगा।
2. सभी छात्राओं को विश्वविद्यालय से जाने व बाजार से लौटते वक्त समय का विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी कारण से विलम्ब होने पर उनकी आउटिंग 1 वर्ष के लिए बंद की जा सकती है।
3. सभी छात्राओं के लिए अनिवार्य है कि वे सभ्य वस्त्र पहनकर आउटिंग पर जाये।
4. आउटिंग के दौरान सभी छात्राओं को विश्वविद्यालय आइडेंडिटी कार्ड (आई कार्ड) पहनना अनिवार्य है।
5. आउटिंग के दौरान सभी छात्राओं को आगाह किया जाता है कि वे किसी भी अपरिचित व्यक्ति से बातचीत ना करें।
6. आउटिंग के दौरान यदि कोई भी नियम तोड़ा जाता है तो उस छात्रा की आउटिंग कम से कम 1 वर्ष के लिए निरस्त कर दी जायेगी।

नोट : यदि कोई भी छात्रा बाजार से लौटते समय, समय से नहीं आती है तो विश्वविद्यालय वाहन उसे छोड़कर विश्वविद्यालय परिसर में आ जायेगा। ऐसी छात्रा के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी एफ.आई.आर. दर्ज करा देगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी छात्रा के अभिभावकों की होगी। ध्यान रहे, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्वयं की वाहन व्यवस्था द्वारा - यदि आप अपनी बालिका को स्वयं की वाहन व्यवस्था द्वारा आने-जाने की अनुमति देना चाहते है तो आपको रिक्त स्थान में यह विकल्प भरना होगा। यह विकल्प चुनने के पश्चात् भी आपको हर बार अपनी अनुमति के लिए एस.एम.एस. भेजना होगा। एस.एम.एस. प्राप्त होने पर इस बारे में आपसे दुबारा किसी तरह का सम्पर्क नहीं किया जायेगा।

नियमावली : आउटिंग का समय - प्रात: 7.00 बजे से रात्रि 7.00 बजे तक ही रहेगा। सभी छात्राओं को अवगत कराया जाता है कि अधिकतम 7.00 बजे तक विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित होना अनिवार्य है। 7.00 बजे के बाद आने पर छात्राओं को विश्वविद्यालय परिसर में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। ध्यान रहे, कि छात्रा का पूर्ण जिम्मेदारी अभिभावक की होगी तथा विलम्ब से आने पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

विश्वविद्यालय वाहन सुविधा और स्वयं की वाहन व्यवस्था द्वारा (छात्रानुसार)

यदि आप अपनी बालिका के लिए उपरोक्त लिखित दोनों सुविधायें चाहते है तो यह विकल्प चुनें। ध्यान रहे कि यह विकल्प चुनने पर दोनों विकल्पों के नियम लागू होंगे।

बाहर जाने की अनुमति नहीं

यदि आप अपनी बालिका के लिए यह विकल्प चुनते है तो उसे किसी भी प्रकार से आउटिंग के लिए विश्वविद्यालय परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अपनी इच्छानुसार अपना विकल्प चुनकर नीचे लिखे।

घोषणा

1. मैं -- माता/पिता ----------------------------------- यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दिया गया आउटिंग का सम्पूर्ण विवरण एवं नियमावली मैंने पढ़ ली है।
2. मैं सुश्री ------------------------------- की जिम्मेदारी लेता/लेती हूँ कि यदि मेरी बेटी/बहिन विश्वविद्यालय का कोई भी नियम तोड़ती है या अवैध रूप से पलायन करती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। विश्वविद्यालय किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
3. अगर अभिभावक अपनी बालिका के लिए किसी भी तरह की विशेष निगरानी चाहते है तो कृप्या रजिस्ट्रार से सम्पर्क कर पूरी बात बताये। आप विश्वास रखे कि आपकी कही हुई बात किसी से भी साझा नहीं की जायेगी और पूरी तरह से गुप्त रहेगी।

दिनांक -----------------

अभिभावक के हस्ताक्षर